विजय को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा विपक्ष

सदन में जबरदस्त हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा रहा.

इस दौरान उन्होंने आसंदी के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की. पहले अध्यक्ष ने दोपहर एक बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी. बाद में जब फिर कार्यवाही समवेत हुई तो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. हंगामें के बीच ही दो ध्यानाकर्षण के जवाब भी हुए, लेकिन सदन में शोर-शराबे की स्थिति बनी रही. वहीं सत्ता पक्ष ने भी तीखे तेवर दिखाये और विपक्ष को चीन और पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे दिया और कहा कि उन्हें इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है. दोनों ही दलों के बीच इस मामले में गतिरोध बना रहा, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी.

सदन की कार्यवाही सबेरे 11 बजे जब समवेत हुई तो स्थिति सामान्य बनी हुई थी. प्रश्नकाल के दौरान 5 सवालों के जवाब भी आये. 6वां सवाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का था, उन्होंने गैस पीड़ित निगरानी समिति की अनुशंसाओं के पालन को लेकर सवाल किया था, विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह भी सवाल का जवाब देने के लिये सदन में मौजूद थे, जैसे ही शाह सीट से जवाब देने के लिये खड़े हुए, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया सीट से खड़े हो गये और आपत्ति जताते हुए कहा कि आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. उनका साथ विपक्ष के दूसरे सदस्यों ने भी दिया और एक साथ सीटों से खड़े होकर बोलने लगे, जिससे सदन में शोर-गुल की स्थिति बन गई. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सेना का अपमान किया था, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था. इस बीच विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने जा पहुंचें और नारेबाजी करने लगे. इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि ये सेना के बारे में किस मुंह से बोलेंगे, सत्ता पक्ष के ही शैलेन्द्र जैन ने कहा कि ये सेना का अपमान करने वाले लोग, सेना की वीरता और शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि उन्होंने सेना का अपमान किया है.

> मंत्री जिसके मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, क्या उसको देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात करने वाली सरकार मंत्री पद पर सुशोभित रखेगी? इस बीच भाजपा के प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि अभी परसो लोकसभा में आतंकवाद के विरोध में एक बिल पारित हुआ है, कांग्रेस ने आतंक के समर्थन में वाकआउट किया और ये सेना की बात करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की. इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जो पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जो चीन की भाषा बोलती है, जो ट्रंप के टैरिफ का समर्थन करती है.

आज 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 अगस्त शनिवार को सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1406 करोड़ रूपये निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे. जिससे यहां लगभग 33 करोड़ 85 लाख रूपये का निवेश होगा. इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले में 1165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे. इन इकाइयों में सीहोर जिले में लगभग 1406 करोड़ रूपये का निवेश होगा और 854 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. जिन औंद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन होगा उनमें वान्यावेदा ग्रीन्स जो झिलेला सीहोर में 20.020 हेक्टेयर में स्थापित होगी. इसमें 115 करोड़ रुपये के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसी प्रकार बारमॉल्ट माल्टिंग इंडिया प्रालि बड़ियाखेड़ी फेस-2, 10.250 हेक्टेयर में स्थापित होगी.

एक नजर में

पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

इंदौर. मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मगरखेड़ा जनपद पंचायत के सचिव ओम गुप्ता को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी सचिव ने फरियादी रोशन वर्मा से मकान का नक्शा पास कराने के बदले 20,000 रुपये की मांग की थी. शिकायत मिलने पर ईओडब्लू ने डीएसपी कन्हैयालाल दांगी के निर्देशन में टीम गठित की और जाल बिछाया. जैसे ही सचिव ने पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये लिए, टीम ने उसे धर दबोचा. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गांधी मेडिकल कॉलेज में फर्जी नियुक्तियां रद्द

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में हुई नितिन अग्रवाल सहित अन्य की अवैध नियुक्तियों को निरस्त करते हुए पूर्व डीन डॉ. सलिल भार्गव पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मनोहर सिंह की याचिका पर हुई, जिसमें पात्र होते हुए भी नौकरी से वंचित करने और फर्जी शपथ पत्र देने का आरोप लगाया गया था. न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए कहा कि याचिका कर्ता को डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पात्र मानने के बावजूद इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है.

सिंगरौली में मिला दुर्लभ खजाना

भारत बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

भोपाल/सिंगरौली, 01 अगस्त. मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की धरती के नीचे वह खजाना छिपा था, जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी. अब यह रहस्य परत-दर-परत खुल चुका है.

देश के कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद में ऐलान किया कि सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्वों) के अकूत भंडार मिले हैं. यह खोज भारत के औद्योगिक क्षेत्र और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है.

मंत्री रेड्डी के मुताबिक, यह पहला मौका है जब देश में इतने बड़े स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं. ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी, मोबाइल चिप्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह भंडार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ चीन पर हमारी निर्भरता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. कोल इंडिया लिमिटेड की टीमें लंबे समय से सिंगरौली के कोयला खदानों से निकलने वाले फ्लाई ऐश और अन्य अपशिष्टों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही थीं.

> **आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बड़ा सहारा**
> वर्तमान में भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है. लेकिन अब सिंगरौली की यह खोज न केवल आयात पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि भारत को इस क्षेत्र में निर्यातक भी बना सकती है. मंत्री रेड्डी ने भरोसा जताया कि यह खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक ठोस आधार देगी.

कांग्रेस कार्यकर्ता लेंगे एआई प्रशिक्षण

कार्यकर्ताओं को देंगे आधुनिक तकनीक का ज्ञान

आशीष कुर्ल

भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने कार्यकर्ताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. सूत्रों के अनुसार भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और कार्यक्रम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि एआई विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण के लिए टेलीफोनिक निमंत्रण भेजे जा रहे हैं. विशेषज्ञ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई के विभिन्न उपयोगों पर जानकारी देंगे. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीकी साधनों से लैस करना है, ताकि वे जनसंपर्क, डाटा विश्लेषण और संचार रणनीतियों को अधिक प्रभावी बना सकें.

इस कार्यक्रम में 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे. यह पहल कांग्रेस संगठन को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक इस पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे हैं और स्वयं तैयारियों पर नज़र रखे हुए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम तकनीक आधारित प्रचार और क्षमता निर्माण पर उसके बढ़ते फोकस को दर्शाता है, खासकर भविष्य के चुनावों को ध्यान में रखते हुए. यह कार्यक्रम इसी माह पीसीसी कार्यालय में होने की संभावना है.

भिंड में चंबल खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर, कई गांव जलमग्न

भिंड,01 अगस्त. मध्यप्रदेश के भिंड जिले में चंबल और सिंध नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते चार दिनों में तेजी से उफान के चलते चंबल नदी खतरे के निशान से 7.06 मीटर ऊपर पहुंच गई है, जिससे अटेर क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. अटेर के लगभग नौ गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है. मल्लपुरा गांव क्वारी नदी के किनारे स्थित है, जो बीते तीन दिनों से पूरी तरह से अलग-थलग है. वहीं लहार क्षेत्र के लिलारी गांव में सिंध नदी के उफान के कारण प्रशासन ने 300 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

बिना हेलमेट न पेट्रोल मिलेगा, न दफ्तरों में एंट्री

01 अगस्त से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

भोपाल/इंदौर,01 अगस्त. प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर में 1 अगस्त से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लागू हो गया है. दोनों शहरों में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी और निजी कार्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा.

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत जारी किया गया है. भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी 1 अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और सीएनजी देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह प्रतिबंध राजधानी के सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर प्रभावी रहेगा. आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

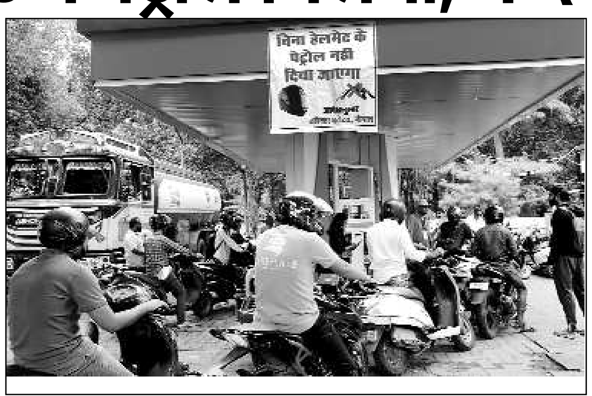

नो हेलमेट - नो पेट्रोल

इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आदेशित नई व्यवस्था के तहत 01 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल न दिया जाए. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. नगर निगम और आरटीओ कार्यालयों में भी नो हेलमेट - नो एंट्री की व्यवस्था लागू कर दी गई है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया है कि जब आम जनता से नियमों के पालन की अपेक्षा है तो सबसे पहले खुद सरकारी अमले को अनुशासित होना पड़ेगा. इंदौर आरटीओ में 31 जुलाई से ही यह व्यवस्था शुरू कर दी गई थी.

मप्र निगम-मंडल नियुक्तियों को लेकर जल्द होगी बड़ी घोषणा

सीएम की दिल्ली बैठक के बाद मची सियासी हलचल

भोपाल, 01अगस्त. मध्यप्रदेश की राजनीति में आने वाले एक-दो दिन में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है.

नगम-मंडलों, बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम वरिष्ठ नेता गुरुवार को नई दिल्ली के एमपी भवन में आयोजित बैठक में शामिल हुए.

इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए संभावित नामों पर विचार किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिससे यह साफ हो गया कि अब निगम-मंडलों की नियुक्तियों की सूची लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. भाजपा नेतृत्व इस बार नियुक्तियों में संगठन के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और जातीय-क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रख रहा है.

कैलाश विजयवर्गीय का तीखा हमला

सेना का अपमान करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं

भोपाल,01 अगस्त. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गैस पीड़ितों को लेकर सवाल पूछा था, जिसका जवाब मंत्री शाह को देना था.

लेकिन इस दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिला सैन्य अधिकारी पर कथित टिप्पणी को लेकर मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी. जैसे ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की, सत्ता पक्ष भी मुखर हो गया. संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जो सेना का अपमान करते हैं, उन्हें सेना के सम्मान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी जमीनों पर कब्जे को लेकर कांग्रेस ने भ्रामक तथ्य पेश कर सदन को गुमराह किया.

इस तीखी बयानबाज़ी के बाद कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए. विपक्ष विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष कांग्रेस पर राष्ट्रविरोधी सोच का आरोप लगाता रहा. लगातार बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 4 अगस्त तक स्थगित कर दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सदन में उपस्थित रहे. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा प्रदेश का किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहा है और सरकार प्रयोगों के नाम पर किसानों के भविष्य से खेल रही है.

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025.
ईमेल : hfquery@motilaloaswal.com.
सीआईएन संख्या : U65923MH2013PLC248741

कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति/संपत्तियों के लिए)

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (औपचारिक रूप से एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने का आह्वान करता है. निम्नलिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है.

क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	कब्ज़ा लेने की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें
1.	LXIND00214-150002930 और LXMOHOF221-220612627 **उधारकर्ता**- दिलीप कुमार जगदीश भावसार **सह-उधारकर्ता**- रंजना दिलीप कुमार भावसार	9-5-2025 रु.4,97,673/-	28-7-2025	फ्लैट नंबर 117 प्रथम तल सुपर बिल्ट अप एरिया 378 वर्ग फीट सिद्धि ऐप. राजकमल रेजीडेंसी एबी रोड खसरा नंबर 35/3/1 नैनोद इंदौर 401207 मध्य प्रदेश
2.	LXPIT00215-160019842 और LXHOF04919-200075685 **उधारकर्ता**- अशोक छोटेलाल बडोडे **सह-उधारकर्ता**- संतोष बाई बडोडे	9-5-2025 रु.9,30,756/-	28-7-2025	प्लॉट नंबर 88, माप 420 वर्ग फीट शालीमार रेजीडेंसी ग्राम भाटखेड़ी महू इंदौर एनआर मेन रोड 453331 महू इंदौर मध्य प्रदेश
3.	LXDEW00218-190072110 और LXMOHOF121-220609069 **उधारकर्ता**- कालूराम सुखलाल परजापत **सह-उधारकर्ता**- जीतेन्द्र कालूराम प्रजापति	9-5-2025 रु.6,68,991/-	28-7-2025	प्लॉट नंबर 233/एम-4 पार वार्ड नंबर 12 सरल नंबर 353 पटेल नगर बावड़िया देवास ना अनामय स्कूल के पास 456001 उज्जैन देवास मध्य प्रदेश
4.	LXPIT00117-180062164 **उधारकर्ता**- प्रमिला अखंड **सह-उधारकर्ता**- रोहित अखंड	9-5-2025 रु.2,39,819/-	28-7-2025	प्लॉट नंबर बी-12 भूमि क्र.सं. 193/2/2 199/2 कुल रकबा हेक्टर 0.259 कुल 0.96 ग्राम-खलखुर्द पीएच-03, तह. कसरावद जिला-खरगौन 451660 इंदौर मध्य प्रदेश
5.	LXMOINDO5523-240674713 और LXMOINDO5523-240674731 **उधारकर्ता**- पदम सिंह **सह-उधारकर्ता**- मंजू राठौड़	15-5-2025 रु.29,43,960/-	28-7-2025	फ्लैट नंबर 204, दूसरी मंजिल, जवाहर मार्ग नरसिंह बाजार चौराहा, वार्ड नंबर 69, नरसिंह चौराहे के पास इंदौर मध्य प्रदेश-452002

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए होगा. उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है.

स्थान : मध्य प्रदेश — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 2.8.2025 — अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. — **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड**

ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री नरेन्द्र सोनेल 2. श्रीमती कोमल सोनेल 3. नरेन्द्र गारमेंट्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10126127)	23 दिसम्बर 2022 रु. 580238/- (रु. पांच लाख अस्सी हजार दो सौ अड़तीस मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें फ्लैट संख्या 108, प्रथम तल, 574 वर्गफुट क्षेत्रफल और 574 वर्गफुट क्षेत्रफल वाला सुपरबिल्ट अप क्षेत्र, ब्लॉक-A-06, सतपुड़ा परिसर, इंदौर (मध्य प्रदेश) 452005 शामिल है.	4 जुलाई 2025 कुल बकाया राशि 6 जुलाई 2025 को रु. 815874/- (रु. आठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)	रु. 270000/- (रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)			बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 27000/- (रु. सत्ताइस हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
18 अगस्त 2025 11.00-14.00 बजे	20 अगस्त 2025 के 5.00 बजे तक	22 अगस्त 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 2-8-2025 — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

चिंता — कांग्रेस का विस परिसर में थीम आधारित प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी, 4 अगस्त तक सदन स्थगित

खाद की खाली बोरियां, नैनो खाद की बोतलें लेकर प्रदर्शन

> उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राहत देने की बजाय, नैनो खाद जैसे प्रयोगों के जरिए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने कहा सरकार किसानों के के बच्चों के भविष्य की चिंता इस सरकार को नहीं है. नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए. वहीं खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो. हंगामें के बाद सदन 4 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 अगस्त. विधानसभा परिसर में कांग्रेस का थीम आधारित प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन भी चला.

शुक्रवार को कांग्रेस विधायक प्रदेश में खाद संकट को लेकर खाद की खाली बोरी और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर परिसर में पहुंचें और प्रदर्शन किया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा प्रदेश के लाखों किसान खाद की लाइन में खड़े हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है. एक तरफ बारिश का समय चल रहा है, दूसरी ओर किसानों को आवश्यक खाद तक नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि नकली और अनुपलब्ध खाद से किसान परेशान हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ विदेशी यात्रियों में व्यस्त है.